क्रम संख्या–15

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 जनवरी, 2010 ई0

पौष 17, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 26/XXXVI(3)/2010/42(3)/2008

देहरादून, 07 जनवरी, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2009'** पर दिनांक 07 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 15, वर्ष 2010 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) अधिनियम, 2009

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15, वर्ष 2010)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह 22 अगस्त, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा 3 में संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 के खण्ड (भ) में पूर्व निकायों के अतिरिक्त निम्नलिखित निकाय अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे; अर्थात् :–

"(55) सभा सचिव

(56) उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी

(57) उत्तराखण्ड भाषा संस्थान।"

निरसन

3–उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 02, वर्ष 2009) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand [The Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971] (Amendment) Bill, 2009' (Adhiniyam Sankhya 15 of 2010).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 07 January, 2010.

No. 26/XXXVI(3)/2010/42(3)/2008

Dated Dehradun, January 07, 2010

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND [THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1971] (AMENDMENT) ACT, 2009

(UTTARAKHAND ACT NO. 15 OF 2010)

Further to amend The Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 (as applicable to the State of Uttarakhand) in the context of the State of Uttarakhand

AN

Act

It is hereby enacted in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows :--

Short Title, Commencement

1. (1) This Act may be callled the Uttarakhand [The Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971] (Amendment) Act, 2009.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 22, 2009.

2. In addition to the existing bodies in clause (x) of section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 (as applicable to the State of Uttarakhand) the following bodies shall be inserted, namely :-- Amendment in Section 3

"(55) Parliamentary Secretary

(56) The Uttarakhand Hindi Academy

(57) The Uttarakhand Bhasha Sansthan"

3. The Uttarakhand [The Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971] (Amendment) Ordinance, 2009 (Uttarakhand Ordinance No. 02 of 2009) is hereby Repealed. Repeal

By Order,

RAM DATT PALIWAL,

Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 6 विधायी / 33–2010–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।